

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/21-22 दिनांक : 16.01.2021

विज्ञप्ति

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के C.B.S.E./C.I.S.C.E. नई दिल्ली से सत्र 2021-22 में सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित तिथि	सम्बन्धित कार्यालय
1.	संस्था/विद्यालय द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन को लॉक करना (सामान्य शुल्क सहित)	18.01.2021 से 15.02.2021 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
2.	संस्था/विद्यालय द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन को लॉक करना (विलम्ब शुल्क सहित)	16.02.2021 से 28.02.2021 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
3.	1. आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना 2. ऑनलाईन जांच 3. निरीक्षण दल का गठन	आवेदन की हार्ड कॉपी जमा के 3 दिवस के भीतर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
	4. निरीक्षण दल द्वारा सम्बन्धित विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया जाना	निरीक्षण दल के गठन से 5 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी
4.	निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्रावली की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा जांच के पश्चात द्वारा प्रतिवेदन अपलोड करना	कार्यालय में प्रकरण प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
5.	निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त एनओसी प्रकरण शासन को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना	01.03.2021 से 10.03.2021	निदेशालय
6.	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की एनओसी जारी करना	15.03.2021 से 25.03.2021	निदेशालय

सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, शुल्क विवरण, शपथ पत्र, परिशिष्ट 2 व 3, निरीक्षण प्रपत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी पीएसपी पोर्टल <http://rajpsp.nic.in> एवं विभागीय वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती है।


(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

शुल्क विवरण

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को C.B.S.E./ C.I.S.C.E. नई दिल्ली से सत्र 2021-22 में
संबद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु शुल्क विवरण:-

आवेदन हेतु सामान्य शुल्क एवं विलम्ब शुल्क				
क्र.स.		विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क
1.	अ	आवेदन शुल्क -उच्च प्राथमिक विद्यालय	20,000	1,00,000
	ब	आवेदन शुल्क- माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु	20,000	1,00,000

अनापत्ति शुल्क (शिथिलन के प्रकरणों में अनापत्ति शुल्क के साथ शिथिलन शुल्क जैसी भी स्थिति हो, देना अनिवार्य होगा)				
क्र.स.		विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर	अनापत्ति शुल्क	शिथिलन शुल्क
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु (जहां कक्षा 6, 7 एवं 8 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के न्यूनतम सत्र के अनुभव में शिथिलन चाहने पर शिथिलन शुल्क)	उच्च प्राथमिक विद्यालय (बिना शिथिलन)	50,000	-
1 सत्र के शिथिलन हेतु		50,000	25,000	
2 सत्र के शिथिलन हेतु		50,000	35,000	
3 सत्र के शिथिलन हेतु		50,000	45,000	

नोट:-

- समस्त प्रकार के शुल्क यथा आवेदन हेतु आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बनाकर आवेदन की हार्ड कॉपी मय संलग्नक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।
- प्रकरण के अनुमोदन उपरान्त अनापत्ति हेतु निर्धारित एनओसी शुल्क/शिथिलन शुल्क (जैसी भी स्थिति हो) का डिमांड ड्रॉफ्ट सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बनाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/21-22

दिनांक : 16.01.2021

समयबद्ध कार्यक्रम

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सत्र 2021-22 में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है -

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि	सम्बन्धित कार्यालय
1.	संस्था/विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क (संलग्न शुल्क विवरण के अनुसार) जमा करवाकर आवेदन लॉक करना (सामान्य शुल्क सहित) तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय समस्त दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	18.01.2021 से 15.02.2021 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
2.	संस्था/विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क (संलग्न शुल्क विवरण के अनुसार) जमा करवाकर आवेदन लॉक करना (विलम्ब शुल्क सहित) तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	16.02.2021 से 28.02.2021 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
3.	निरीक्षण दल का गठन कर निर्धारित अवधि में निरीक्षण हेतु पाबन्द करना	आवेदन लॉक करने की दिनांक से 03 दिवस के भीतर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
4.	निरीक्षण दल द्वारा जिशिअ कार्यालय से पत्रावली प्राप्त कर संलग्न दस्तावेजों के अनुसार सम्बन्धित विद्यालय का भौतिक निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन, अपेंडिक्स 2 व 3, सम्पूर्ण दस्तावेज मय पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	निरीक्षण दल के गठन से 5 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी
5.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिशंभा कमेटी का गठन कर निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्रावली की जांच कर एवं प्रतिवेदन अपलोड करना	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्ति के 2 दिवस के भीतर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
6.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टिप्पणी एवं स्पष्ट अभिशंभा सहित निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदन पत्र मय डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, अपेंडिक्स 2 व 3, सम्पूर्ण दस्तावेज मय पत्रावली निदेशालय को भिजवाया जाना। (जिशिअ कार्यालयों में प्राप्त आवेदन प्रकरणों को प्राप्ति दिनांक के अनुसार अग्राकितानुसार निदेशालय को उपलब्ध करवाना)	सामान्य शुल्क के तहत आवेदित प्रकरण दिनांक 05.02.2021 एवं 22.02.2021 तथा विलम्ब शुल्क के प्रकरणों को 08.03.2021 तक अनिवार्य रूप से भिजवाना	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
8.	शासन से प्राप्त अनुमोदित प्रकरणों के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा संबंधित जिशिअ कार्यालय को सूचित करने पर- 1. विद्यालय/संस्था को निर्धारित एनओसी शुल्क राशि शिथिलन शुल्क राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करवाने हेतु सूचित करना 2. विद्यालय/संस्थाओं द्वारा निर्धारित राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट जमा करवाये जाने पर समेकित कर निदेशालय को प्रेषित करना	निदेशालय द्वारा शासन से प्राप्त अनुमोदन के 2 दिवस के भीतर जिशिअ को सूचित करना। सम्बन्धित जिशिअ कार्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्था को 02 दिवस में सूचित करना	निदेशालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
9.	डिमांड ड्रॉफ्ट प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित संस्था/विद्यालय को एनओसी जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना	दिनांक 25.03.2021 तक	निदेशालय

आज्ञा से
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण बाबत प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

पत्र

सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

आवेदन का प्रकार-सम्बन्धित को टिक (✓) करे

CBSE से सम्बद्धता	<input type="checkbox"/>
CBSE से सम्बद्धता नवीनीकरण बाबत	<input type="checkbox"/>
CISCE से सम्बद्धता	<input type="checkbox"/>
CISCE से सम्बद्धता नवीनीकरण	<input type="checkbox"/>

महोदय,

उक्त चिन्हित विषय के क्रम में विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है-

- विद्यालय का नाम व पता
..... डाईस कोड..... पीएसपी कोड
.....ईमेल आईडी दूरभाष मोबाईल
विद्यालय का वर्तमान पता -
- विभाग द्वारा पूर्व में जारी मान्यता/क्रमोन्नयन आदेश क्रमांक व दिनांक
- अध्यापन का माध्यम-हिन्दी /अंग्रेजी /हिन्दी-अंग्रेजी
- उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित संकाय एवं अध्यापन विषय -
विज्ञान संकाय
वाणिज्य संकाय
कला संकाय
कृषि संकाय
- विद्यालय संचालनकर्ता संस्था का नाम व पूर्ण विवरण
 - नाम.....
 - संस्था का कार्यक्षेत्र
 - दूरभाष/मोबाईल
 - ईमेल आईडी
 - अध्यक्ष का नाम
 - सचिव का नाम
 - संस्था के पंजीयन का विवरण
पंजीयन संख्या वर्ष दिनांक
- संस्था संविधान के अनुसार संस्था संचालन का उद्देश्य
कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या
कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक दिनांक
गत 02 तिमाही में आयोजित बैठको की दिनांक (1) दिनांक (2)
- संस्था कार्यकारिणी द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिए गए सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों की संख्या	सम्बन्धित पारित प्रस्ताव का विवरण

- गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण(निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेशित छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आर.टी.ई अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित	सरकार द्वारा पुनर्भरण की

			संख्या		छात्र संख्या	गई राशि

9. विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय मावि/उमावि से दूरी..... किमी एवं नाम.....
10. गत शैक्षिक सत्र में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार प्रवेशित छात्र संख्या
11. राज्यस्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक एवं कक्षानुसार निर्धारित फीस का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में कक्षावार फीस का विवरण संलग्न करें)

क्र.स.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि

12. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियोजन तिथि	शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता	वेतनमान	कुल देय वेतन

13. सम्बद्धता-माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सम्बद्धता क्रमांक दिनांक
14. विद्यालय पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस बोर्ड का विवरण- CBSE/CISCE सम्बद्धता वर्ष
15. विद्यालय भूमि का माप (वर्गमीटर में) -
16. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या
17. विद्यालय की अवस्थिति शहरी/ ग्रामीण
18. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण - स्वयं का स्वामित्व/लीजडीड/किराए पर
19. विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....
20. विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....
21. आवेदन शुल्क हेतु राजकोष में जमा डी.डी. संख्या..... दिनांक राशि
उक्त के क्रम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया शैक्षिक सत्र
..... से विद्यालय की CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को अग्रेषित करने का श्रम करावें। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराये जाने वाली राशि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय में जरिए डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने की सहमति प्रदान करता हूँ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था सचिव

मय मुहर

संलग्न-दस्तावेज सूची

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी की नवीनतम प्रति (जो 2 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)
3. विद्यालय की मान्यता, क्रमोन्नति एवं सम्बद्धता आदेश की प्रति
4. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा-कक्षाओं आदि का माप दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट
5. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति
7. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज/रजिस्टर्ड किरायानामा/रजिस्टर्ड लीजडीड की प्रति (विद्यालय की भूमि के माप के अनुसार) खेल मैदान सहित
8. विद्यालय भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ/संस्थानिक संपरिवर्तन के दस्तावेज
9. नियोजित स्टाफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन तिथि
10. अपेडिक्स 2 एवं 3
11. कुल कक्ष कक्षाओं का माप सहित विवरण

12. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
13. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में निर्धारित राशि की एफडीआर
14. संस्था की गत 03 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट
15. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति
16. विद्यालय में मोबाईल टावर एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं होने का प्रमाण पत्र
17. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
18. अन्य वांछित /आवश्यक दस्तावेज

सम्बद्धता सत्र 2021-22

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय की पंजीकृत संस्था के सचिव/अध्यक्ष को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र प्रारूप -

-: शपथ पत्र :-

मनके पुत्र/पुत्री श्री..... जाति उम्र स्थायी निवासी.....
(पूर्ण पता लिखें) फोन न. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

- i) विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।
- ii) राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 2017 की अक्षरशः पालना की जायेगी।
- iii) समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
- iv) संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण की गई राशि का विवरण भी शपथ पत्र में दिया जाना आवश्यक है जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

क. सं.	सत्र	कक्षा कक्षा की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि

- v) विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरों तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त की जायेगी।
- vi) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई. से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।
- vii) विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
- viii) विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।
- ix) विद्यालय परिसर के ऊपर से हार्डटेशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।
- x) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्ड 1:10 मीटर मे बना हुआ है।
- xi) कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।
- xii) कार्यरत समस्त स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिए बैंक खाता किया जाता है।
- xiii) सचिव, सीबीएससी के परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30.01.2019 में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना की गई है।
- xiv) विद्यालय द्वारा "Rehabilitation of Persons with Disabilities Act 2016" की पूर्ण पालना की जायेगी।
- xv) विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं.....(कार्यवाही की प्रति सलग्न).
- xvi) विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/ नहीं..... (निर्णयादेश/दण्डादेश की प्रति सलग्न)
- xvii) भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्रांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा रूपान्तरित है। भूमि रूपान्तरण/नियमितिकरण नहीं होने की दशा में एनओसी के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जावे।
 विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अथवा भागीदारी नहीं निभाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा। उक्त शपथ पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (xi) तक वर्णित सूचना एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। इसमें कोई तथ्य छुपाया, घटाया एवं बढ़ाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य गलत/मिथ्या पाया जाता है तो विभाग विद्यालय/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर
शपथगृहिता (सचिव संस्था)

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

आवेदन क्रमांक

क्र. स.			आवेदित संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर अनुपालना हां/ नहीं	पृष्ठ संख्या
1	निजी विद्यालय का नाम मय पीएसपी कोड विद्यालय डाईस कोड संख्या			
2	संस्था का नाम एवं संचालन का परिक्षेत्र			
3	विद्यालय सोसाईटी परिक्षेत्र में संचालित होना चाहिए— संचालित है अथवा नहीं			
4	संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न)			
5	रजिस्ट्रार से प्रमाणित विधान की प्रति (प्रति संलग्न)			
6	रजिस्ट्रार से प्रमाणित सोसाईटी/ न्यास/ प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामों की प्रति (प्रति संलग्न)			
7	CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु कार्यकारिणी द्वारा समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित प्रस्ताव की प्रति (प्रति संलग्न)			
8	विद्यालय को जारी मान्यता आदेश की प्रतियां	विद्यालय का स्थापना वर्ष—		
9	विद्यालय का वर्तमान संचालन स्तर – उप्रावि/मावि/उमावि (प्रति संलग्न)			
10	संस्था में अध्यापन का माध्यम— हिन्दी/अंग्रेजी/हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों			
11	वर्तमान में सम्बद्धता किस बोर्ड से प्राप्त है			
12	किस कक्षा स्तर हेतु सम्बद्धता आवेदन किया गया है			
13	फीस निर्धारण समिति के नियमानुसार गठन आदेश (प्रति संलग्न)			
14	फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को स्वीकृत कक्षा स्तरों तक का कक्षावार निर्धारित फीस का समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित विवरण (प्रति संलग्न)			

15	विद्यालय भवन सहित कुल भूमि का सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट जिस पर प्लॉट न./खसरा न./माप अंकित किया गया हो, (प्रतिसंलग्न)				
16	विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (न्यूनतम 1 एकड/4047 वर्ग मी.) अनिवार्य	विद्यालय भवन का माप (वर्गमीटर)			
		खेल मैदान का माप (वर्गमीटर)			
		विद्यालय परिसर का कुल माप (वर्गमीटर)			
17	विद्यालय भूमि-भवन की स्थिति स्वयं का होने पर (भूस्वामित्व के दस्तावेज) एवं भूमि भवन किराये का होने पर (रजिस्टर्ड किरायानामा)	स्वयं	माप-		
		किराये पर	माप-		
18	खेल मैदान का माप एवं स्वामित्व की स्थिति (स्वयं/किराया)	स्वयं	माप-		
		किराये पर	माप-		
19	विद्यालय एक ही परिसर में (भवन एवं खेलमैदान सहित) संचालित है अथवा नहीं	विद्यालय एक ही परिसर में होना अनिवार्य है।			
20	विद्यालय परिसर की पक्की चारदीवारी निर्मित है अथवा नहीं				
21	भूमि का प्रकार- कृषि/आवासीय/संस्थानिक/ शैक्षणिक	ग्रामीण	ग्राम पंचायत का आवासीय पट्टा	1 एकड (4047 वर्गमी.) तक की कृषि भूमि	1 एकड से अधिक कृषि भूमि
		शहरी	जेडीए/नगर निगम		नगरपालिका/नगरपरिषद्
22	खेल मैदान का माप एवं स्वामित्व की स्थिति (स्वयं/किराया)	स्वयं			
		किराये पर			
23	भौतिक सत्यापन के आधार पर कमरो की संख्या एवं माप (कक्षवार विवरण संलग्न करें)	कुल कक्षा कक्षा की संख्या			
		मापदण्डानुसार कक्षा कक्षो की संख्या (8×6 वर्ग मी.)			
24	विद्यालय में संचालित विषयवार प्रयोगशाला उपकरण सहित औसत माप 600 वर्गमी.	कुल प्रयोगशाला की संख्या			
		निर्धारित मापदण्डानुसार है अथवा नहीं (9×6 वर्ग मी.)			
25	कम्प्यूटर लैब जिसमें 20 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट उपलब्ध है अथवा नहीं	औसत माप 600 वर्गमी. (9×6 वर्ग मी.)			
26	पुस्तकालय	निर्धारित मापदण्डानुसार है अथवा नहीं (14×8 वर्ग मी.)			
27	वाचनालय एवं बहुउद्देशीय हॉल				
28	पीडब्ल्यूडी अभियंता द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र				

29	विद्यालय में उपलब्ध छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक कुल शौचालयों की संख्या	छात्रों हेतु -			
		छात्राओं हेतु -			
		कुल -			
30	छात्र संख्या अनुसार उपलब्ध दरी पट्टी / ड्यूल डेस्क / फर्नीचर	कक्षा 1 से 5 -			
		कक्षा 6 से 8 -			
		कक्षा 9 से 12 पृथक-पृथक-			
31	यदि पुराने भवन को परिवर्तित कराया गया है तो कारण मय आदेश प्रति मय नवीन भवन पता				
32	विद्यालय भवन, परिसर में मोबाईल टावर है अथवा नहीं				
33	विद्यालय भवन, परिसर के उपर से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है अथवा नहीं				
34	विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति				
35	विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की स्थिति				
36	विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है एवं इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को पूर्ण जानकारी प्राप्त है अथवा नहीं				
37	विद्यालय यदि 2 पारी में संचालित है तो स्वीकृति की प्रति				
38	विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पंचाग अंगीकृत है अथवा नहीं				
39	आरटीई अधिनियम की पालना में 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है अथवा नहीं				
40	राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्टऑफिस में रिजर्व फण्ड रखा गया है अथवा नहीं				
41	गत 3 सत्रों का सी.ए. द्वारा जारी वित्तीय आय-व्यय का प्रमाण पत्र				
42	नियोजित कार्मिकों के भविष्य निधि कटौति राशि (लागू होने की दशा में) मासिक राशि राजकोष में जमा करायी जाती है, निरीक्षण दल द्वारा अभिलेख से मिलान कर लिया गया है।	राशि			
43	सचिव, सीबीएससी के पत्रांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30-01-2019 को जारी परिपत्र के अनुसार पालना की गई है अथवा नहीं				

44	CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु कार्यकारिणी द्वारा समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित प्रस्ताव की प्रतिसंलग्न अथवा नहीं			
45	संस्था द्वारा संचालित संकाय			
46	संस्था द्वारा संचालित संकायवार विषय			
47	अपेडिक्स-2 एवं अपेडिक्स-3 विद्यालय से प्राप्त कर भरी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है एवं समस्त सूचनाएँ सही भरी गई हैं अथवा नहीं			
48	संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा 100/-रुपए के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्न)			

1) विद्यालय को स्वीकृत स्तर तक शिक्षा सत्र..... में प्रवेशित छात्र संख्या का विवरण निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावे- -

क्र.स.	कक्षा अनुसार विवरण अंकित करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपस्थिति		आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा	

2) कार्यरत समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावे-

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता	वेतनमान/ वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नकद/बैंक खाते के माध्यम से

3) गत सत्र का परीक्षा परिणाम-

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा-8			
कक्षा-10			
कक्षा-12			

4) विद्यालय में कक्षा 1 से 5 चालू होने की दशा में शिक्षा का स्तर टिप्पणी –

5) विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ किये जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

6) समस्त दस्तावेज सुपाठ्य प्रतियों के साथ संलग्न किए जावे।

आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, अपेडिक्स-2 एवं अपेडिक्स-3, एवं अन्य भूमि एवं संस्था से सम्बन्धित दस्तावेज विद्यालय से प्राप्त कर समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर भरे गए प्रपत्र पत्रावली के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में जमा करवा दिए गए हैं।

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा बाबत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है एवं स्वीकृति हेतु अभिशंषा की जाती है/निम्नांकित कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है—

हस्ताक्षर निरीक्षण दल प्रभारी	हस्ताक्षर निरीक्षण दल सदस्य-1	हस्ताक्षर निरीक्षण दल सदस्य-2
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिशंषा प्रारूप

आवेदन क्रमांक—

जिला—

- 1) निजी विद्यालय का नाम पीएसपी कोड
- 2) संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक एवं विद्यालय डाईस कोड संख्या.....
- 3) विद्यालय का वर्तमान स्तर – उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक
- 4) निरीक्षण दल की अभिशंषा नियमानुसार हां/नहीं
- 5) विज्ञप्ति के अनुसार संस्था/विद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवा दिया गया है— हां/नहीं
- 6) अभिशंषा समिति द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त टिप्पणी एवं अनुशंषा-निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रदर्शित विवरण को जांच लिया गया है.....

हस्ताक्षर शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	हस्ताक्षर सम्बन्धित ब्लॉक के पीईईओ/प्रधानाचार्य	हस्ताक्षर लेखाकाधिकारी	सम्बन्धित लिपिक
---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------

उक्त सदस्यों की समान राय नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी मतभेद के बिन्दुओं का अध्ययन कर स्वयं भौतिक सत्यापन/अभिलेख जांच के आधार पर टिप्पणी निम्नानुसार अंकित करेगा।

मतभेद बिन्दु	हस्ताक्षर सदस्य	जिशा के द्वारा मतभेद बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में नियम संगत टिप्पणी

अपेडिक्स 2 एवं अपेडिक्स 3 (संलग्न) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न की गई है एवं 1 प्रति सम्बन्धित संस्था/विद्यालय को उपलब्ध करवा दी गई है।

विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं.....

विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/ नहीं.....

जिला शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंसा- निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रदर्शित विवरण को जांच लिया गया है.

.....
.....
.....

विद्यालय विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं विद्यालय के भूमि सम्बन्धी दस्तावेज- भूमि स्वामित्व/ रजिस्टर्ड किरायानामा, भूमि का प्लॉट न./ खसरा न., भूमि का प्रकार एवं माप एवं ब्लूप्रिंट, भूरोपान्तरण स्तावेज, कक्षा कक्षों की संख्या एवं माप आदि का संस्था द्वारा आवेदन में दर्शाये गए रिकार्ड का दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है, जो नियमानुसार मापदण्ड के अनुरूप है तथा संस्था के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है/नहीं हैं.....एवं पूर्व में जारी दण्डादेश का प्रभाव जारी है/नहीं..... निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्रावली के अनुसार प्रकरण पूर्ण एवं अनुमोदन योग्य पाया गया है/नहीं।

आवेदित प्रकरण के क्रम में सम्बद्धता/सम्बद्धता नवीनीकरण दिए जाने हेतु स्पष्ट अभिशंसा की जाती है /प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

नोट:- निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अभिशंसा मय टिप्पणी हस्ताक्षर मय मोहर होने आवश्यक है।